

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१७

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, २०१७

विषय-सूची

अध्याय-एक

प्रारंभिक

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
२. परिभाषा।

अध्याय-दो

फीस एवं फीस में वृद्धि के निर्धारण हेतु घटक

३. फीस एवं फीस में वृद्धि के निर्धारण हेतु घटक.

अध्याय-तीन

फीस में वृद्धि के विनियमन हेतु प्रक्रिया

४. लेखाओं की प्रस्तुति एवं फीस में वृद्धि के प्रस्ताव हेतु प्रक्रिया.
५. फीस में वृद्धि का विनियमन.

अध्याय-चार

संबंधित विषयों का विनियमन

६. संबंधित विषयों का विनियमन.

अध्याय-पांच

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति

७. फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति का गठन.
८. कार्यवाही का संचालन.
९. फोम की वृद्धि एवं संबंधित विषयों के संबंध में शिकायतों का निपटारा.
१०. प्रतिदाय का आदेश और शास्ति का अधिगोपण.

अध्याय-छह

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति

११. फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति का गठन.
१२. अपील का उपबंध.

अध्याय-सात

लेखाओं का विनियमन तथा अभिलेखों का अनुरक्षण

१३. लेखाओं का विनियमन तथा अभिलेखों का अनुरक्षण.

अध्याय-आठ

प्रकीर्ण

१४. नियम बनाने की शक्ति.
१५. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.
१६. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
१७. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
१८. २०१८ में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिये विशेष उपबंध.
१९. निरसन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१७

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में बढ़ि तथा उसके संग्रहण का विनियमन करने तथा उससे संसक्त एवं उसके आनुषंगिक विषयों का उपवंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक

प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “शैक्षणिक वर्ष” से अभिप्रेत है, कोई कालावधि, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट परिभाषाएं की जाए;
- (ख) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम, १९६५ (क्रमांक २३ सन् १९६५) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मान्यता प्रदान करने या मान्यता का नवीकरण करने या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी अन्य भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय की संबद्धता उपविधियों के अधीन संबद्धता के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी;
- (ग) “फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति” से अभिप्रेत है, धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन गठित समिति;
- (घ) “फीस” से अभिप्रेत है, धारा ३ की उपधारा (१) में व्यापरिभाषित फीस;
- (ङ) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (च) “स्थानीय प्राधिकरण” से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर परिषद्, नगर पालिका या नगर पालिका निगम;
- (छ) “प्रवंधन” से अभिप्रेत है, प्रवंधन समिति या शासी निकाय या कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी नाम में जाना जाता हो, जिसे निजी विद्यालय के कार्यकलाप यौंग जाते हैं;
- (ज) “विहित” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (झ) “निजी हाई स्कूल” से अभिप्रेत है, कक्षा नीं में दस तक या कक्षा एक से दस तक की शिक्षा प्रदान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय और जो किसी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय से संबद्ध हो;

- (ज) “निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय” से अभिप्रेत है, कक्षा ग्यारह से बारह या कक्षा एक से बारह तक की शिक्षा प्रदान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय, और जो किसी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय से संबद्ध हो;
- (ट) “निजी माध्यमिक विद्यालय” से अभिप्रेत है, कक्षा छह से आठ या कक्षा एक से आठ तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय और जो किसी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय से संबद्ध हो;
- (ठ) “निजी अल्पसंख्यक विद्यालय” से अभिप्रेत है, निजी विद्यालय जिसे सरकार के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;
- (ड) “निजी पूर्व प्राथमिक विद्यालय” से अभिप्रेत है, निजी विद्यालय जो तीन से छह वर्ष आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्तर जैसे नर्सरी, जूनियर किन्डरगार्टन, सीनियर किन्डरगार्टन स्तर तक की शिक्षा प्रदान कर रहा हो अथवा जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वह किसी निजी विद्यालय से संलग्न हो या न हो;
- (ट) “निजी प्राथमिक विद्यालय” से अभिप्रेत है, कक्षा एक से पांच तक शिक्षा प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय;
- (ण) “निजी विद्यालय” से अभिप्रेत है, कोई निजी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिसमें निजी अल्पसंख्यक विद्यालय, चाहे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा अर्द्धशासकीय संगठनों से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा हो या नहीं, सम्मिलित है, परन्तु इसमें केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय, कोई पूर्णतः आवासीय विद्यालय और राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित विद्यालय सम्मिलित नहीं होगा;
- (त) “संवंधित विषय” से अभिप्रेत है, विषय जैसे कि पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री, वाचन सामग्री, स्कूल वैगं, गणवेश, छात्रों के लिये परिवहन प्रदान करना और समस्त ऐसे विषय जो छात्र या उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निजी विद्यालय को धनराशि संदर्भ करने का कारण बनें;
- (थ) “फीस तथा संवंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति” से अभिप्रेत है, धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन गाठित समिति.

अध्याय-दो

फीस एवं फीस में वृद्धि के निर्धारण हेतु घटक

३. फीस से अभिप्रेत है, किसी निजी विद्यालय द्वारा किसी भी कक्षा या अध्ययन पाठ्यक्रम में किसी छात्र के प्रवेश के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संग्रहीत राशि चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, और जिसमें :— हेतु घटक.

- (क) शिक्षण फीस,
- (ख) पुस्तकालय फीस,
- (ग) वाचनालय फीस,
- (घ) खेल फीस,
- (ङ) प्रयोगशाला फीस,
- (च) कम्प्यूटर फीस,
- (छ) काशन मरी,
- (ज) परीक्षा फीस,
- (झ) अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिये फीस जैसे राष्ट्रीय पर्व, वार्षिक उत्सव, खेल-कूद म्पर्च,

- (अ) प्रवेश फीस,
- (ट) पंजीकरण, विवरण पत्रिका, प्रवेश आवेदन प्ररूप के लिये फीस,
- (ठ) कोई अन्य राशि जिसका संदाय किया जाना छात्र के लिए आज्ञापक हो,
- (ड) छात्रों द्वारा संदेय कोई अन्य राशि, जो सरकार द्वारा विहित की जाए, समिलित है।

(२) फीस में वृद्धि का विनिश्चय करते समय फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला अथवा राज्य स्तरीय समिति द्वारा, यथास्थिति, फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित घटकों पर विचार किया जाएगा :—

- (क) भूमि, भवन एवं उससे संलग्न फिल्सचर की कीमत;
- (ख) छात्रों की संख्या;
- (ग) अध्ययन संकाय;
- (घ) अधोसंरचना एवं उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर संस्था द्वारा किया गया व्यय;
- (ड) प्रशासन तथा अनुरक्षण पर व्यय;
- (च) केन्द्र सरकार की नीति के अनुपालन में कमज़ोर वर्ग तथा वंचित समूहों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर व्यय;
- (छ) अध्यापन तथा अध्यापनेतर कर्मचारिवृद्धि की संख्या एवं उनकी अर्हताएं;
- (ज) निजी विद्यालय के विकास हेतु आरक्षित की गई धारा ५ की उपधारा (२) में यथा-विनिर्दिष्ट व्यय पर वार्षिक प्राप्तियों की अधिकता;
- (झ) अध्यापन तथा अध्यापनेतर कर्मचारिवृद्धि का बेतन;
- (ञ) सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी सहायता जैसे कि भूमि, अनुदान;
- (ट) छात्र-शिक्षक अनुपात; और
- (ठ) कोई अन्य घटक, जो विहित किए जाएं।

अध्याय-तीन

फीस में वृद्धि के विनियमन हेतु प्रक्रिया

४. (१) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ९० दिवस के भीतर, समस्त निजी विद्यालय पूर्ववर्ती तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखे ऐसी रीति में प्रस्तुत करेंगे जैसी कि विहित की जाए।

लेखाओं की प्रस्तुति एवं फीस में वृद्धि के प्रस्ताव हेतु प्रक्रिया।

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति ऐसे निजी विद्यालयों, जिनके व्यय पर वार्षिक प्राप्तियों की अधिकता उनके संपरीक्षित लेखों के अनुसार १० प्रतिशत से कम है, के लेखों का निरीक्षण कर सकेगी।

(३) प्रत्येक निजी विद्यालय का प्रबंधन आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिये प्रस्तावित फीस संरचना ऐसे दस्तावेजों एवं लेखों के साथ प्रस्तुत करेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(४) इसमें ऊपर उपधारा (३) के अधीन प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पांच हजार रुपए से अनधिक राशि के साथ होगा जो ऐसे खाते में और ऐसी रीति में निश्चेपित कि जाएगी जैसी कि विहित की जाए।

५. (१) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति फीस नियत नहीं करेगी किन्तु फीस में वृद्धि को विनियमित करेगी।

फीस में वृद्धि का विनियमन।

(२) उस वर्ष की वार्षिक प्राप्तियों की अधिकता को बनाए रखने के लिए, जिसके कि न्ति उसी वर्ष हेतु व्यय पर फीस प्रस्तावित है, ऐसी वार्षिक प्राप्तियों के १० प्रतिशत के भीतर फीस में वृद्धि विनियमित की जाएगी।

(३) इसमें ऊपर उपधारा (२) के प्रावधानों के अध्ययनीन गहरे हुए :

- (क) प्रबंधन पूर्ववर्ती वर्ष के लिये नियत फीस के १० प्रतिशत तक फीस में वृद्धि कर सकेगा;

(ख) फीस की वृद्धि की मात्रा, जहां ऐसी प्रस्तावित वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष में प्रभारित फीस के १० प्रतिशत से अधिक है, को विनिश्चित करने के लिये फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति अधिकृत होगी :

परन्तु यदि फीस में प्रस्तावित वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के १५ प्रतिशत से अधिक है तो जिला समिति उसे अपनी टिप्पणियों के साथ फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति के पास उसके विनिश्चय के लिये भेजेगी;

(ग) जहां फीस की प्रस्तावित वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के १५ प्रतिशत से अधिक है वहां फीस की वृद्धि की मात्रा को विनिश्चित करने के लिये राज्य फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति अधिकृत होगी.

(४) निजी विद्यालय का प्रबंधन, धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत किए गए फीस की वृद्धि के अपने प्रस्ताव में, धारा ३ की उपधारा (१) में उपबंधित फीस की मदों के विरुद्ध संदेश राशि का उल्लेख करेगा.

(५) निजी विद्यालय का प्रबंधन या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा।

(६) निजी विद्यालय का प्रबंधन किसी छात्र, माता-पिता या अभिभावक से किसी भी नाम से कोई दान या प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त नहीं करेगा।

(७) निजी विद्यालय फीस के निष्केप के लिये बैंक खाता अधिहित करेगा और इस प्रकार निष्कृत की गई फीस की रसीद, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, छात्र, माता-पिता या अभिभावक को प्रदान की जाएगी।

अध्याय-चार

संबंधित विषयों का विनियमन

६. संबंधित विषय ऐसी रीति में विनियमित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाएँ। विनियमन.

अध्याय-पांच

फीस तथा अन्य विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति का गठन.—

७. (१) फीस एवं अन्य संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिये एक जिला समिति होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- | | | | |
|-----|--|---|----------------|
| (क) | जिला कलक्टर | — | अध्यक्ष |
| (ख) | जिला कोषालय अधिकारी | — | सदस्य |
| (ग) | जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट सहायक संचालक से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी | — | सदस्य |
| (घ) | जिला शिक्षा अधिकारी | — | सदस्य मन्त्रिव |

(२) समिति की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

८. (१) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन प्रस्ताव कार्यवाही का प्राप्त होने पर, निजी विद्यालय के प्रबंधन द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं लेखा का परीक्षण करेगी। संचालन.

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, ऊपर उल्लिखित उपधारा (१) में उद्दृत अभिलेखों का परीक्षण और ऐसे बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त कर सकेगी, जैसे कि समिति द्वारा निर्धारित किए जाएँ।

(३) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, निजी विद्यालय के प्रबंधन से ऐसी अतिरिक्त सूचना मंगा सकेगी जो कि विनिश्चय करने के लिए वह आवश्यक समझती है।

(४) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, प्रबंधन तथा उक्त विद्यालय में प्रवेश दिए गए छात्रों और छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी।

(५) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव पर, प्रस्ताव की प्राप्ति के ४५ दिन के भीतर विनिश्चय करेगी:

परन्तु ४५ दिनों की इस कालावधि की गणना करने में इसमें ऊपर उपधारा (३) के अधीन अतिरिक्त जानकारी देने में निजी विद्यालय द्वारा लिया गया समय सम्प्लित नहीं किया जाएगा।

(६) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव को टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव की प्राप्ति के ७ दिनों के भीतर फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति को अग्रेषित करेगी, यदि फीस की प्रस्तावित वृद्धि पूर्वता वर्ष के १५ प्रतिशत से अधिक है।

९. (१) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, इस अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रबंधन द्वारा उल्लंघन के संबंध में, उस निजी विद्यालय के किसी छात्र के माता-पिता या अभिभावक या छात्र द्वारा की गयी शिकायत की जांच करेगी, जिसमें कि छात्र अध्ययन कर रहा हो।

फीस की वृद्धि एवं संबंधित विषयों के संबंध में शिकायतों का निपटाग।

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, इस अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगी और उसकी जांच कर सकेगी।

(३) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, ऐसे निजी विद्यालय के परिसर में, जिसके विरुद्ध ऊपर उल्लिखित उपधारा (१) एवं (२) के अधीन जांच संस्थित की गई है, प्रवेश के लिए सहायक संचालक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी।

(४) ऊपर उल्लिखित उपधारा (३) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसे, दस्तावेजों की, जो जांच के संचालन के लिए आवश्यक और सुसंगत प्रतीत हों, तलाशी, निरीक्षण और जप्ती करेगा।

(५) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, अपने कृत्यों का निर्वहन ऐसी रीति में करेगी जैसी कि विहित की जाए और उसे जांच के प्रयोजन हेतु वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में मिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन किसी सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात्—

- (क) किसी साक्षी को सम्मन कराना तथा उसे हाजिर होने की विवश करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतिकरण करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना; और
- (घ) साक्षी के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना।

(६) समिति ऐसे निजी विद्यालय के प्रबंधन को, जिसके विरुद्ध जांच संस्थित की गयी है, सुनवाई का अवसर देगी।

**प्रतिदाय का आदेश
और शास्ति का
अधिरोपण।**

१०. (१) धारा ९ के अधीन फीस में वृद्धि के संबंध में जांच की पूर्णता पर, यदि फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति यह पाती है कि धारा ५ के अधीन अनुज्ञात फीस से अधिक फीस संग्रहीत की गई है तो यह उक्त निजी विद्यालय के प्रबंधन को उन छात्रों या उनके माता-पिता या अभिभावकों को, जिनसे कि ऐसी फीस संग्रहीत की गई है, प्रतिदाय करने का निदेश देगी।

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, इसमें ऊपर उपधारा (१) के अधीन प्रतिदाय के आदेश के अतिरिक्त उक्त निजी विद्यालय के प्रबंधन पर, जहां प्रतिदाय का आदेश पहली बार जारी किया गया है वहां दो लाख रुपए तक की शास्ति औंह जहां प्रतिदाय का आदेश दूसरी बार जारी किया गया है वहां चार लाख रुपए तक की शास्ति और प्रतिदाय के पश्चात् वर्ती आदेशों के लिए छह लाख रुपए तक की शास्ति अधिरोपित करेगी।

(३) धारा ९ के अधीन संबंधित विषयों के संबंध में जांच की पूर्णता पर, यदि फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति पाती है कि प्रबंधन ने इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन किया है तो यह निजी विद्यालय के प्रबंधन को विहित रीति में इसके द्वारा यथा अवधारित राशि, ऐसे छात्रों या उनके माता-पिता अथवा अभिभावकों को, जिनसे कि संग्रहीत की गई है, प्रतिदाय करने का निदेश देगी।

(४) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, इसमें ऊपर उपधारा (३) के अधीन प्रतिदाय के आदेश के अतिरिक्त, इसमें ऊपर उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगी।

(५) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, इसमें ऊपर उपधारा (२) एवं (४) के उल्लिखित शास्ति के अधिरोपण के अतिरिक्त, उक्त निजी विद्यालय की मान्यता को निलंबित या रद्द करने की अनुशंसा भी सक्षम प्राधिकारी को कर सकेगी।

(६) यदि निजी विद्यालय का प्रबंधन इसमें ऊपर उपधारा (१) एवं (३) में यथा आदेशित राशि के प्रतिदाय या इसमें उपधारा (२) एवं (४) के अधीन अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने में असफल रहता है, तो फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगी और इस तरह वसूल की गई राशि, आदेश में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों को संदत की जाएगी और शास्ति ऐसी रीति में निश्चित की जाएगी, जैसी की विहित की जाए।

अध्याय—छह

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति का गठन।

११. (१) धारा ५ की उपधारा (३) के खण्ड (ग) के अधीन फीस की वृद्धियों के प्रस्तावों पर विनिश्चय करने के लिए और फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए एक फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य फीस समिति होगी।

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

- (क) आयुक्त, लोक शिक्षण अध्यक्ष
- (ख) अतिरिक्त मिशन मंचालक, गज्य शिक्षा केन्द्र या केन्द्र के मिशन सदस्य
- मंचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी,
- (ग) मंयुक्त मंचालक (विज), लोक शिक्षण सदस्य
- (घ) मुख्य अभियंता, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल सदस्य
- (ङ) मंचालक, लोक शिक्षण मंचव.

- (३) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी.
- (४) धारा ८ की उपधारा (१) से (५) तक के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित राज्य फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति को लागू होंगे।
१२. (१) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में अपील का उपबंध अपील का विनिश्चय करेगी जैसी की विहित की जाए.
- (२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति फीस संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति द्वारा अधिरोपित शासित को घटा या बढ़ा सकेगी।
- अध्याय—सात**
लेखाओं का विनियमन तथा अभिलेखों का अनुरक्षण
१३. निजी विद्यालयों का प्रबंधन, लेखाओं तथा अभिलेखों का ऐसे प्ररूप तथा रीति में अनुरक्षण करेगा जैसी कि विहित की जाए।
- लेखाओं का विनियमन तथा अभिलेखों का अनुरक्षण.
- अध्याय—आठ**
प्रकीर्ण
१४. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- नियम बनाने की शक्ति.
- (२) इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम राज्य विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।
१५. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।
- अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.
१६. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए फीस तथा संबंधित विषयों के हेतु जिला अथवा राज्य समिति के अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध कोई बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।
- सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
१७. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसे ही अवसर उद्भूत हो, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन हेतु उसे आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो:
- कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
- परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान पश्चात् नहीं किया जाएगा।
- (२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्ति शोप्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।
१८. (१) इस अधिनियम के किसी उपबंध के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निजी विद्यालय के प्रबंधन पर २०१८ में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस, पूर्ववर्ती वर्ष में प्रभागित फीस के १० प्रतिशत के भीतर रखने का प्रतिबंध अधिरोपित कर सकेगी।
- २०१८ में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए विशेष उपबंध.

(२) धारा ९, १०, ११ और १२ के उपवंध वथावश्यक परिवर्तन सहित इस धारा के उल्लंघन पर लागू होंगे।

निरसन. १९. मध्यप्रदेश अशासकीय विद्यालय विनियमन अधिनियम, १९७५ (क्रमांक ३३ सन् १९७५) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उददेश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार की नीति है कि सभी बच्चों को यथोचित तथा गुणात्मक शिक्षा दी जाए। यद्यपि राज्य सरकार को समय-समय पर जनता तथा अभिभावकों से निजी विद्यालय द्वारा किए जा रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण, तथा फीस के नाम पर विभिन्न मदों में राशि संग्रहीत किये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है। इसके अलावा प्रतिवर्ष फीस में अप्रत्याशित वृद्धि अभिभावकों के लिए अनुचित वित्तीय बोझ में परिणामित हो रही है। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश में निजी विद्यालयों में फीस तथा अन्य संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए सन् १९९५ में दिशा-निर्देश जारी किए थे किन्तु प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके, अतएव राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में फीस में वृद्धि तथा अन्य संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम को अधिनियमित करने का विनिश्चय किया है।

२. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर ने रिट याचिका क्रमांक २४५०/२०१२, लिटिल एन्जल शिला समिति विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन तथा १२ अन्य याचिकाओं का दिनांक १३ मई, २०१५ को निराकरण करते समय सरकार को निर्देश दिया है कि उसे फीस तथा उससे सुसंगत विषयों के विनियमन के पहलू पर विचार करना चाहिए। सिविल अपील क्रमांक ४०६०/२००९ मार्डन दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, ग्वालियर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन तथा अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक २ मई, २०१६ को यह अवलोकन किया है कि शैक्षणिक संस्थाओं की बेहतर शिक्षा प्रणाली हेतु निधि अर्जित करने का अधिकार है। परंतु फीस में वृद्धि धनोपाजन के लिए नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक क्रियाकलापों को परोपकार के कार्य के रूप में मानना चाहिए।

३. मध्यप्रदेश राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि तथा अन्य संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है।

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख २८ नवम्बर, २०१७

कुंवर विजय शाह
भारसाधक सदस्य।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, २०१७ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार हैः—

खण्ड

धारा—१ अधिनियम को प्रवृत्त किए जाने की तिथि सुनिश्चित किए जाने;

धारा—२ शैक्षणिक कालावधि के निर्धारण संबंधी।

धारा—३ (ड) छात्रों द्वारा संदेय कोई अन्य राशि के नियतन के संबंध में;

धारा—४ निजी विद्यालयों के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने संबंधी रीति, आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रस्तावित फीस संरचना संबंधी दस्तावेज एवं लेखे, उक्त दस्तावेजों के साथ जमा की जाने वाली राशि हेतु खाते एवं रीति संबंधी।

धारा—५ निजी विद्यालय द्वारा निक्षिप्त की गई फीस को रसीद प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में; संबंधी।

धारा—६ संबंधित विषयों को विनियमित किये जाने संबंधी रीति सुनिश्चित किए जाने;

धारा—९ फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति के कृत्यों के निर्वहन की रीति निर्धारण संबंधी;

धारा—१० इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के उपवंशों का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर निजी विद्यालय के प्रबंधन को अवधारित राशि के प्रतिदाय की रीति संबंधी, निजी विद्यालय द्वारा अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने में असफल रहने पर उक्त विद्यालय से वसूल की गई शास्ति निक्षिप्त किए जाने की प्रक्रिया नियत करने;

धारा—१२ फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति के अपील के विनिश्चय की रीति संबंधी।

धारा—१३ निजी विद्यालयों द्वारा लेखाओं तथा अभिलेखों के प्रारूप तथा रीति में अनुरक्षण संबंधी, तथा

धारा—१४ अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाए जाएंगे, उक्त नियम सामान्य स्वरूप के होंगे।

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।